एफ.संख्या 5(4)-पी.डी./2004

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 2004

कार्यालय जापन

विषय:- सरकारी खाते में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जमाराशियों पर अनुमेय ब्याज की दर।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार के अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समय-समय पर भारत के लोक लेखे में अपनी अधिशेष निधियाँ जमा कराने की अनुमित दी गई है।

ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज की दर वर्ष 2004-05 के लिए वही रहेगी जैसािक इस मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.एफ. 5(4)-पीडी/2003 दिनांक 12-3-2003 में विहित है। तदनुसार, ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज की दर वर्ष 2004-05 के लिए 6% (छह प्रतिशत) प्रतिवर्ष है।

ऐन स्तुप्रमाणी पडा (एम.सुब्रमणियन) उप निदेशक (बजट)

सेवा में

आईएफए, मुख्य/लेखानियंत्रक और वेतन एवं लेखा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रतियों सहित भारत के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

- 1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
- 2. महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली।
- 3. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली।
- 4. रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
- दूर-संचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
- 6. डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।

एम सुप्रमाणी पना (एम.सुब्रमणियन) उप निदेशक (बजट) F.No. 5(4)-PD/2004

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the 22nd July, 2004

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Rate of interest admissible on deposits of Central Public Sector Undertakings in Government account.

The undersigned is directed to state that Several Public Sector Undertakings of Central Government have been allowed to deposit their surplus funds in Public Account of India from time to time.

The rate of interest payable on such deposits for the year 2004-2005 shall continue to be at the same rate as prescribed in this Ministry's O.M. No. F.5(4)-PD/2003 dated 12-3-2003. Accordingly, the rate of interest payable on such deposits for the year 2004-2005 is 6% (Six per cent) per annum.

(M.Subramanian)

Deputy Director (Budget)

To

All Ministries/Departments etc. of the Government with spare copies for IFA, Chief/Controller of Accounts and Pay and Accounts Officers.

Copy forwarded to:—

- C&AG of India, New Delhi.
- 2. C.G.A., New Delhi.
- 3. C.G.D.A., New Delhi.
- 4. Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
- 5. Department of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi.
- 6. Department of Posts, Dak Bhawan, New Delhi.

(M.Subramanian)

Deputy Director (Budget)